कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–3/9719/2015–16/197-198 दिनांक 25/2/16

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा –

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति –

विषयः–शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु सत्र 2015–16 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना मे राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त प्रतिपूर्ति से वंचित के भुगतान हेतु सत्र 2015–16 प्रथम किश्त के पुनर्भरण के लिए निर्देशानुसार निम्नलिखित लेखामद में राशि का आवंटन संलग्न प्रपत्र अनुसार किया जा रहा है।

क्र.स.	बजट मद	सत्र 2015–16 की प्रथम किश्त के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	2202–01–796–11–00–57 (आयोजना व्यय) "	4,07,82,271
	योग	

(रूपये चार करोड़ सात लाख बयासी हजार दो सौ इकत्तर मात्र)

आवंटित राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावें।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/कोषालय/23484–23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ो का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।
संलग्न–उपरोक्तानुसार कार्यालय वार सूची।

25/2/16
लेखाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. सहायक निदेशक,(आरटीई)।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

25/2/16
लेखाधिकारी